भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

17.12.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2361 का उत्तर

रेल दुर्घटनाएँ

2361. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षो के दौरान रेल दुर्घटनाओं में कुल कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है;

(ख) क्या ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों के परिवारजनों को कोई मुआवजा प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): पिछले दो वर्षों अर्थात् 2019-20 और 2020-21 के दौरान, भारतीय रेल में परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में किसी यात्री की जान नहीं गई। बहरहाल, पिछले दो वर्षों अर्थात् 2019-20 और 2020-21 के दौरान रेलवे से संबंधित दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों (गाड़ी के यात्रियों के अलावा) की कुल संख्या क्रमश: 5 और 4 थी।

(ख) और (ग): महोदय, ऐसी दुर्घटनाओं में पीड़ितों के परिवारों को सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे मामलों में दिया गया कुल मुआवजा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मुआवजे का भुगतान (लाख रु. में)
2019-20	101.87
2020-21	33.81

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

******

Sk